

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाड़

(पीठासीन अधिकारी - त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 141/2021
दायर दिनांक - 30.06.2021

उनवान

1. जग्गा पुत्र लखमा जाति बैरवा निवासी चुराडा तहसील निवाड़ जिला टोंक
2. धुल्या पुत्र लखमा जाति बैरवा निवासी चुराडा तहसील निवाड़ जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र रामपाल जाति बैरवा निवासी चुराडा तहसील निवाड़ जिला टोंक
2. रामचन्द्र पुत्र रामपाल जाति बैरवा निवासी चुराडा तहसील निवाड़ जिला टोंक
3. शंकरलाल पुत्र हरनाथ जाति बैरवा निवासी चुराडा तहसील निवाड़ जिला टोंक
4. भंवरलाल पुत्र रामदयाल जाति बैरवा निवासी चुराडा तहसील निवाड़ जिला टोंक
5. पार्वतीदेवी पत्नी रामफूल जाति जाट निवासी श्रीकिशनपुरा उर्फ बाला तहसील चाकसू जिला जयपुर
6. राधाकिशन पुत्र नेहनू जाति गुर्जर निवासी चुराडा तहसील निवाड़ जिला टोंक
7. तहसीलदार निवाड़

अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. प्रार्थीगण की ओर से श्री मो0 सलीम अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 7 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक:- 04.05.2022

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की ग्राम चुराडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 44/2 शां.नं. 45/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 49/2 रकबा 6 बीघा, ख0नं0 49/6 रकबा 6 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के आस-पास के खातेदार जबरन प्रार्थीगण की कृषि भूमि को दबाने पर आमादा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि की मेर व डोल को तोड़ने फोड़ने पर आमादा रहते है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नहीं रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। नियमानुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाड़ (टोंक)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया जाकर सीधे बहस करना जाहिर किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु कथन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार कार्तकार होने से पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2070-73 खाता संख्या 31, 39 एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। प्रश्नगत भूमि के खातेदार कार्तकार है एवं प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं ग्राम घुराडा पटवार मण्डल जोधपुरिया की आराजी खसरा नम्बर 44/2 शा.नं. 45/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 49/2 रकबा 6 बीघा, ख0नं0 49/6 रकबा 6 बीघा भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कमिश्नर फीस रु. 500/- वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढी शुल्क की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार निवाई को लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 04.05.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
निवाई